अध्याय III: सूचनाओं का प्रयोग

- आईटीडी की कॉस प्रणाली ने संवीक्षा के लिए मामलों का चयन किया जिसमें से मात्र 24 *प्रतिशत* मामलों में एआईआर सूचनाऐं थी।
- एओज़ ने 285 उच्च मूल्य वाले मामलों में उपयोगी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं किया अथवा लेन-देनों के तथ्यों और औचित्य को सत्यापित किए बिना निर्धारितियों के उत्तर पर विश्वास करते हुए निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया।
- आईटीडी ने 2,45,843 नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स की पहचान की। आईटीडी ने सूचनाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नामित निर्धारण अधिकारियों (डीएओज़) को गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चयनित सीआईटीज में अधिसूचित नहीं किया।
- आईटीडी ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान 22.7 से 26.2 *प्रतिशत* मामलों में पैन की पहचान की। आईटीडी ने उन 2596 नॉन-पैन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए जहाँ पते अधूरे थे। 5,355 मामलों में जारी किए गए नोटिस अवितरित वापिस प्राप्त हुए।
- एआईआर सूचना पर निर्धारण के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि आधिकारिक सीआईबी ने एओ के अनुरोध पर प्रतिक्रिया नहीं की।
- एओ ने पुष्टि के लिए आधिकारिक सीआईबी को सूचनाऐं संदर्भित नहीं की।
- एओज़ के पास प्रसारित एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित डॉटा नहीं था। चयनित प्रभार में, एओज़ ने निर्धारित रजिस्टर में सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया।

संवीक्षा के लिए आईटीडी की कम्प्यूटर एसिस्टिड स्क्रूटनी सलेक्शन सिस्टम (कॉस) से मामलों का चयन किया गया जिसमें से मात्र 24 *प्रतिशत* मामलों में एआईआर सूचनाऐं थी।

प्रसारित सूचनाओं का प्रयोग

3.1 सारे देश में सभी निर्धारण प्रभारों के लिए एआईआर डॉटा के आधार पर कॉस द्वारा संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की स्थिति निम्नवत् हैः

तालिका 3.1: कॉस द्वारा संवीक्षा के लिए चयनित मामले

निर्धारण वर्ष	पैन जिसकी सूचना उपलब्ध थी	कॉस में चयनित कुल मामले	चयनित एआईआर मामले		कॉस-एआईआर द्वारा चयनित पैन मामलों का %	पूरे किए गए एआईआर मामले	
			संख्या	%		संख्या	%
नि.व.08	4,19,879	82,024	14,112	17	3.4	2,959	21
नि.व. 09	5,73,891	2,31,145	36,910	16	6.4	13,747	37
नि.व. 10	7,22,829	2,32,303	80,681	35	11.2	70,433	87
जोड़	**17,16,599**	**5,45,473**	**1,31,703**	**24**	**7.7**	**87,139**	**66**

3.2 उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि संवीक्षा के लिए कॉस द्वारा चयनित मामलों में से मात्र 17 से 35 *प्रतिशत* एआईआर मामलों से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, एआईआर से संबंधित मामलों का औसत कुल पैन मामलों जिनके लिए एआईआर सूचनाऐं उपलब्ध थी, का मात्र 7.7 *प्रतिशत* था। इस प्रकार, आईटीडी ने संवीक्षा निर्धारणों के लिए एआईआर सूचनाओं का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं किया।

एओज़ ने 285 उच्च मूल्य वाले मामलों में उपयोगी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग नहीं किया अथवा लेन-देनों के तथ्यों और औचित्य को सत्यापित किए बिना निर्धारितियों के उत्तर पर विश्वास करते हुए निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिया।

प्रसारित सूचनाओं का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया

3.3 एआईआर/सीआईबी सूचनाऐं उन मामलों में, जिनका संवीक्षा के लिए चयन किया गया था एओज़ के लिए एएसटी में सुलभ है। हमने संवीक्षा के लिए चयनित 285 मामलों[27] में एआईआर सूचनाओं में सूचित किए गए ₹ 2,138.80 करोड़ के उच्च मूल्य वाले लेन-देनों को देखा जहाँ एओज़ ने संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान सूचनाओं पर विचार नहीं किया अथवा एआईआर फाइलर्स, डीआईटी-सीआईबी और डीजीआईटी-एस से लेन-देनों के तथ्यों एवं औचित्य को सत्यापित किए बिना निर्धारितियों के उत्तर पर विश्वास करते हुए निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिया। एआईआर फाइलर ने पूरक एआईआर फाईल करते हुए प्रणाली में अपलोडिड गलत सूचनाओं को परिशोधित किया लेकिन निर्धारण के समय प्रणाली से जनित रिपोर्ट में अद्यतन सूचनाऐं नहीं दर्शाई गई थी। एओज़ ने अन्य आधिकारिक यूनिटों से प्राप्त हुई सूचनाओं का उपयोग नहीं किया (बॉक्स 3.1 देखें)।

बॉक्स 3.1: प्रसारित सूचनाओं का उपयोग न करने के निदर्शी मामले

क. प्रभारः सीआईटी-II, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड, पैन-एएसीसीए 4014 डी

निर्धारिती ने म्युचुअल फण्ड्स में ₹ 6.45 करोड़ के निवेश से मना किया जिन्हें आईटीएस में दिखाया गया था। एओ ने म्युचवल फण्ड्स के प्रधान अधिकारियों को 27 दिसम्बर 2010 को धारा 133(6) के अन्तर्गत पुष्टि के लिए पत्र जारी किया जिनका उत्तर नहीं दिया गया। एओ ने इस संबंध में कोई हस्तक्षेप किए बिना 30 दिसम्बर 2010 को निर्धारण कर दिया।

ख. प्रभारः सीआईटी-XX, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः डा. प्रशान्ता बनर्जी, पैन-एईसीपीबी 7012

आईटीएस से पता चला कि निर्धारिती ने अपने बचत बैंक खाता में ₹ 189.66 करोड़ और ₹ 41 लाख नगद जमा किए। निर्धारिती ने ₹ 189.66 करोड़ जमा करने से मना किया। बैंक ने यह बताते हुए निर्धारिती के कथन की पुष्टि की कि गलती उनके द्वारा दायर की गई एआईआर में गलती के कारण हुई। बैंक ने पुनः सूचित किया कि उन्होंने 12 अगस्त 2009 को पूरक एआईआर विवरणी दाखिल करते हुए गलती को परिशोधित कर दिया था। तथापि,

[27] आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभार में निर्धारण वर्ष 09 और 10 से संबंधित।

निर्धारण के समय एओ द्वारा अक्टूबर 2010 के दौरान जनित आईटीएस ने बैंक द्वारा प्रारम्भिक रूप से दायर किए गए एआईआर के आधार पर ही लेन-देनों को दिखाया। यह दर्शाता है कि प्रणाली ने पूरक एआईआर विवरणी के आधार पर आईटीएस को अद्यतन नहीं किया।

ग. प्रभारः सीआईटी-I चण्डीगढ़, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः राजिन्दर सिंह, पैन-एएनएफपीएस 7614 ए

आईटीडी ने ₹ 24.95 लाख की नगद जमा के लिए एआईआर सूचना के आधार पर इस मामले का चयन किया। निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया कि ₹ 8 लाख कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त हुए थे, तथापि, अन्तरीय राशि की संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान चर्चा नहीं की गई थी।

3.4 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि अद्यतन की गई सूचनाओं को पर्याप्त रूप से दिखाया जा रहा है और उसकी उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय का उत्तर उपर्युक्त नोट की गई आपत्तियों से भिन्न है।

प्रसारित सूचनाओं पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

3.5 हमने तीन मामलों[28] में देखा कि संबंधित एओ प्रसारित सूचनाओं का उपयोग करने में विफल रहा। इन मामलों में संवीक्षा कार्यवाहियों को या तो नोटिस जारी करने में विलम्ब के कारण बन्द कर दिया गया था अथवा संवीक्षा में मामले के चयन की सूचना देते हुए निर्धारिती को नोटिस कभी नहीं भेजा गया था। तथापि, इन मामलों को 2009 की सीबीडीटी अनुदेश सं. 1 के पैरा 6 के अनुसार पुनः खोला जा सकता सकता था। एओ की ओर से चूक के परिणामस्वरूप संवीक्षा के अन्तर्गत निर्धारण पूर्ण नहीं हुए और परिणाम स्वरूप एआईआर सूचनाओं का सत्यापन नहीं हुआ (बॉक्स 3.2 देखें)।

बॉक्स 3.2: अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई पर निदर्शी मामले

क. प्रभारः सीआईटी II, दिल्ली, निर्धारण वर्षः 10
निर्धारितीः मैसर्स मेक्सफन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को 'शून्य' आय पर आय की ई-रिटर्न दाखिल की और 3 अप्रैल 2010 को ₹ 0.63 लाख की हानि पर संशोधित विवरणी दाखिल की। आईटीडी ने ₹ 5.65 करोड़ के लिए अचल सम्पति की बिक्री की एआईआर सूचना के आधार पर संवीक्षा के लिए कॉस द्वारा इसका चयन किया। एओ ने 26 अगस्त 2011 को धारा 143(2) के अन्तर्गत सांविधिक नोटिस जारी किया। एओ ने यह विचार करते हुए धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस के जारी करने के लिए मामले की जाँच करने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सीआईटी के आदेश के बावजूद 28 दिसम्बर 2012 को कार्यवाहियों को बन्द कर दिया कि निर्धारिती संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसके द्वारा दायर की गई मूल विवरणी समय के अन्दर नहीं थी और मूल विवरणी के आधार पर कार्यवाहियों का प्रारम्भ करना सम्भव नहीं था क्योंकि नोटिस जारी करने के लिए समय समाप्त हो गया था।
केन्द्रीकृत संसाधन विवरणी योजना, 2011 में निर्धारित किया गया कि वैध ई-रिटर्न के लिए यह आवश्यक है कि फॉर्म आईटीआर-V निर्दिष्ट अवधि के अन्दर सीपीसी तक पहुँच जाए।

[28] हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र प्रत्येक में एक मामला

डीआईटी (प्रणाली) ने सूचित किया (मई 2012) कि सीपीसी को निर्धारिती द्वारा दायर की गई मूल विवरणी की आईटीआर-V प्राप्त नहीं हुई। आईटीआर-V के अभाव में मूल विवरणी को आईटीडी अनुप्रयोग में संसाधित नहीं किया जा सकता और इसका चयन कॉस में भी नहीं किया जा सकता। तथापि, संशोधित विवरणी की आईटीआर-V 07 मई 2010 को प्राप्त हुई थी। इसलिए, निर्धारिती द्वारा दायर की गई संशोधित विवरणी को सीपीसी द्वारा धारा 143(1) के अन्तर्गत मूल विवरणी के रूप में संसाधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसी विवरणी का चयन 7 अगस्त 2011 को कॉस में भी किया गया था जिसके लिए धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस 26 अगस्त 2011 को जारी किया गया था। चूँकि मूल विवरणी वैध विवरणी नहीं थी इसलिए आगामी दायर की गई विवरणी (संशोधित विवरणी) को मूल विवरणी के रूप में माना जाना था और धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण की कार्यवाहियों को ड्रॉप करने के बजाए इस आगामी विवरणी पर पूरा किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, विवरणी के दायर करने में विलम्ब के लिए दाण्ड़िक कार्रवाई एओ द्वारा की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, एओ की कार्रवाई पूर्णतः अनियमित थी क्योंकि उसने पहली (मूल) विवरणी की वैधता पर ध्यान नहीं दिया। उसने धारा 148 के अन्तर्गत मामले को पुनः खोलने के लिए सीआईटी के अनुदेशों का अनुसरण भी नहीं किया।

ख. प्रभारः सीआईटी-2, नागपुर, महाराष्ट्र, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः श्री आलोक अम्बर बासु, पैन-एबीएनपीबी 7624बी

आईटीडी ने 07 सितम्बर 2007 को ₹ 79.99 लाख के लिए अचल सम्पति की बिक्री की एआईआर सूचना के आधार पर संवीक्षा के लिए इस मामले का चयन किया जिसकी पुष्टि उप-रजिस्ट्रार द्वारा भी की गई थी और धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस 20 अगस्त 2009 को जारी किया गया था। संवीक्षा कार्यवाहियों को यह बताते हुए 09 दिसम्बर 2010 को बन्द कर दिया गया था कि नोटिस निर्धारिती को नहीं भेजा गया था।

ग. प्रभारः सीआईटी पंचकुला, हरियाणा, निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः संजीव सरदाना, पैन एबीएमपीएस1166एल

आईटीडी ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹ 34.49 लाख के भुगतान की एआईआर सूचना के आधार पर संवीक्षा के लिए मामले का चयन किया और धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। प्रत्युत्तर में निर्धारिती ने विरोध किया कि उसने जुलाई 2008 में विवरणी दाखिल की थी और इसे लगभग एक वर्ष के विलम्ब के बाद 26 अगस्त 2010 को नोटिस प्राप्त हुआ था और कार्यवाहियों को बन्द करने का अनुरोध किया। एओ ने मामले को पुनः खोलने के बजाए दिसम्बर 2010 में कार्यवाहियों को बन्द कर दिया।

निर्धारिती द्वारा घोषणा के बावजूद एआईआर सूचनाओं को कर के दायरे में नहीं लाया गया

3.6 हमने दो मामले देखे जिनका चयन एआईआर सूचना के आधार पर कॉस के अन्तर्गत संवीक्षा के लिए किया गया था लेकिन निर्धारिती द्वारा उसकी संशोधित विवरणी में आय के रूप में एआईआर सूचित सूचना की राशि की घोषणा करने और इस राशि पर कर अदा करने के बावजूद भी एओ ने सूचना पर विचार नहीं किया (बॉक्स 3.3 देखें)।

बॉक्स 3.3: कर के दायरे में न लाई गई सूचनाओं पर निदर्शी मामले

प्रभारः सीआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश, निर्धारण वर्षः09

निर्धारितीः संजय श्रीवास्तव (पैन-एसीएनपीएस5131पी) और पंकज श्रीवास्तव (पैन-एसीएनपीएस5129एच)

दोनों निर्धारितियों ने क्रमशः ₹ 5.44 लाख और ₹ 5.06 लाख करयोग्य आय की घोषणा करते हुए 29 सितम्बर 2008 को अपनी विवरणी दाखिल की। आईटीडी ने प्रत्येक मामले में ₹ 30.01 लाख की नगद जमा की एआईआर सूचना के आधार पर कॉस के अन्तर्गत संवीक्षा के लिए इन मामलों का चयन किया और 10 सितम्बर 2009 को धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए। संवीक्षा निर्धारण के दौरान, एओ ने एआईआर सूचना के बारे में कोई विशिष्ट पूछताछ नहीं की और एआईआर सूचना के बारे में निर्धारण आदेशों में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 30.01 लाख की नगद जमा की एआईआर सूचनाओं को उनकी संशोधित विवरणियों जिन्हें 22 दिसम्बर 2009 को दाखिल किया गया था, में अन्य स्रोतों से आय के रूप में दोनो निर्धारितियों द्वारा दिखाए जाने और अक्टूबर 2009 में धारा 140 ए के अन्तर्गत कथित राशि पर कर अदा करने के बावजूद करयोग्य आय के रूप में मूल दाखिल की गई आय का अवधारण करते हुए एओ ने 16 नवम्बर 2010 को संवीक्षा निर्धारण पूरा कर दिया।

एआईआर के आधार पर संवीक्षा के लिए कॉस द्वारा चयनित मामलों को संवीक्षा के लिए नहीं लिया गया था।

3.7 हमने देखा कि पाँच चयनित मामलों को संबंधित एओज़ द्वारा संवीक्षा के लिए नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.61 करोड़ की एआईआर सूचनाओं का सत्यापन नहीं हुआ।

क. दिल्ली में डीजीआईटी-एस ने संवीक्षा के लिए एआईआर सूचना के आधार पर कॉस के अन्तर्गत चयनित मामलों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) मुहैया कराई। हमने चार मामले[29] देखे जिनमें ₹ 3.57 करोड़ की एआईआर शामिल थी जिनका चयन कॉस एआईआर के अन्तर्गत किया गया था लेकिन संबंधित एओ ने इन मामलों के चयन से मना किया। डीजीआईटी-एस ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में धारा 143(2) के अन्तर्गत नोटिस बनाए गए थे।

ब. कॉस ने ₹ 5.04 करोड़ की एआईआर सूचनाओं के आधार पर संवीक्षा के लिए **रामचन्द्र राधाकृष्ण, पैन-एएजीपीआर 9058 एम**[30] का मामला चुना। लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीसीआर में इस मामले का उल्लेख नहीं था और आईटीडी ने भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए।

---

[29] निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2010-11 से संबंधित

[30] प्रभारः सीआईटी गाजियाबाद (अब सीआईटी, नोएडा), निर्धारण वर्षः 2008-09

दर्शायी गई सूचनाओं का निर्धारिती से कोई संबंध नहीं

3.8 एआईआर फाईलर्स को यह सुनिश्चित करना है कि एआईआर में पैन सही भरा जाय। 16 मामलों[31] में हमने देखा कि बताई गई एआईआर सूचनाओं का संबंधित निर्धारिती से कोई संबंध नहीं था लेकिन दर्शाया गया पैन निर्धारिती का ही था (बॉक्स 3.4 देखें)।

बॉक्स 3.4: दर्शायी गई सूचनाऐं निर्धारिती से संबंधित नहीं होने के निदर्शी मामले

अ. प्रभारः सीआईटी पंचकुला, हरियाणा; निर्धारण वर्षः 10
निर्धारितीः वीर सिंह, पैन-एआरजीपीएस4907एच

संवीक्षा कार्यवाही के दौरान एओ ने देखा कि ₹ 43.51 लाख की संपत्ति की खरीद के लिए दी गई सूचना में गलत पैन दर्शाया गया था; वास्तव में लेन-देन दूसरे निर्धारिती (मिहिर चन्द्र कान्त शाह) से संबंधित था।

ब. प्रभारः वार्ड 11(2), सीआईटी-I, कर्नाटक; निर्धारण वर्षः 09
निर्धारितीः बी. नागराजन, पैन-एएएफपीएन1966आर

एआईआर फाईलर ने निर्धारिती की कंपनी के रूप में समान नाम वाली दूसरी कंपनी की सूचनाऐं फाइल कर दी। एआईआर फाईलरों के एआईआर में सही पैन दर्शाने को सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप निर्धारिती को असुविधा हुई।

3.9 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि प्रणाली में दिये गये असंगत पताका के माध्यम से पैन नाम और लेनदेन नाम के बीच किसी प्रकार की असंगतता की पहचान करने की सुविधा है। इसे विभिन्न शाखा प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के उत्तर में लेखापरीक्षा में उठाये गये मुद्दे का कोई ज़िकर नहीं है।

आईटीडी ने 2,45,843 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स की पहचान की। आईटीडी ने गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चयनित सीआईटी प्रभार में सूचनाओं की जाँच के लिए नामित निर्धारण अधिकारियों (डीएओज़) को अधिसूचित नहीं किया।

नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स की पहचान

3.10 आईटीडी ने 2,45,843 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स[32] की पहचान[33] की। चूँकि एआईआर/सीआईबी जानकारी जुटाने का एक आधारभूत उद्देश्य नॉन फाईलर्स की पहचान करना और कर-आधार को व्यापक बनाना था, अतः नॉन फाईलर्स की सूची न बनाने के परिणामस्वरूप आईटीडी के कर आधार को मजबूत करने की पहल को संभावित नॉन फाईलर्स की पहचान न होने से नुकसान हुआ है। हमने नॉन फाईलर्स/स्टाप फाईलर्स की पहचान से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे देखेः

---

[31] निर्धारण वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 से संबंधित हरियाणा में एक मामला, कर्नाटक में 10 मामले और राजस्थान में पांच मामले

[32] आंध्र प्रदेशः 10327 (वित्तीय वर्ष 10), दिल्लीः 57,254 (वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10), पंजाबः 21,253 (वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09), राजस्थानः 10,257, मध्य प्रदेशः 17,526 महाराष्ट्रः 1,14,118, उत्तर प्रदेशः 1,755 और पश्चिम बंगालः 13,353

[33] निर्देश सं. 1/2009 दिनांक 12.02.2009 का पैरा 3 एवं 4

क. दिल्ली में, सीआईटी-सीओ ने वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 09 के लिए नॉन फाईलर्स की सूची 26 दिसम्बर 2011 को तथा वित्तीय वर्ष 10 के लिए 07 फरवरी 2012 को अर्थात क्रमशः 32 महीने, 20 महीने और 10 महीने बीत जाने के बाद सीसीआईटी-I, दिल्ली के समन्वय विंग को अग्रेषित की। वित्तीय वर्ष 11 के लिए नॉन फाईलर्स की सूची अभी भी परिचालित की जानी थी (मई 2012)।

ख. महाराष्ट्र में, पाँच चयनित सीआईटी में आईटीडी ने चिन्हित 1,14,118 में से 23,051 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स के विरूद्ध कार्रवाई की और टैक्स के दायरे में 82 नए निर्धारिती लाए गए। हालाँकि, आईटीडी ने सीआईटी 8 और सीआईटी 11, मुंबई में टैक्स नैट में निर्धारिती नहीं जोड़े यद्यपि क्रमशः 48,014 और 50,665 नॉन फाईलर्स/स्टॉप फाईलर्स थे।

ग. तमिलनाडु में, सीआईटी-सीओ, चेन्नई ने बताया कि सूचना देना डीजीआईटी-एस के कार्यक्षेत्र में था।

घ. हरियाणा में, सीआईटी पंचकुला के प्रभाराधीन डीएओज़ ने बताया कि उनके पास कोई नॉन-पैन मामले उपलब्ध नहीं थे। वित्तीय वर्ष 08 के लिए डॉटा प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 09 के लिए डॉटा जनवरी 2012 में प्राप्त हुआ।

ड. एआईआर में लेनदेन के आधार पर स्टॉप फाईलर्स सहित नॉन फाईलर्स की संख्या तथा उसी वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति सृजन के उपरान्त निर्देशानुसार संबंधित एओज़ को सूचित करने के संबंध में चयनित सीआईटी (सीओ) प्रभार में कोई सूचना/सूची[34] नहीं थी।

नामित निर्धारण अधिकारियों (डीएओज़) की नियुक्ति

3.11 कैडर कंट्रोलिंग सीसीआईटी को उन स्टेशनों जहाँ निर्धारिती (जिन्हे धारा 142(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने थे) स्थित थे, पर कार्यदबाव के अनुसार एक या अधिक एओज़ (अर्थात् नामित एओज़) के समवर्ती क्षेत्राधिकार पर आदेश पास करने आवश्यक थे। नामित निर्धारण अधिकारी (डीएओज़) नॉन-पैन एआईआर की सूचनाओं के संबंध में निर्धारितियों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी थे। हमने गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश[35] और पश्चिम बंगाल में चयनित सीआईटी प्रभार में देखा कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आईटीडी ने डीएओज़ को अधिसूचित नहीं किया।

---

[34] असम, गुजरात, केरल और ओडिशा

[35] सीआईटी-वाराणसी, गाजियाबाद एवं सीआईटी-II, कानपुर में नहीं और सीआईटी-I, लखनऊ में अक्टूबर 2011 में नियुक्त।

क. दिल्ली में, सीसीआईटी-I के समन्वय विंग ने बताया कि निर्धारण वर्ष 07 और निर्धारण वर्ष 08 के लिए डीएओज़ के अंतिम बैच को नवम्बर 2008 में नामित किया गया था।

ख. तमिलनाडु में, आईटीओ, बिजनेस वार्ड IV (3), चेन्नई को जून 2006 में सीसीआईटी-I से VI चेन्नई और डीजीआईटी (जाँच) के क्षेत्राधिकार के लिए डीएओ के रूप में नामित किया गया था। हालांकि, सीसीआईटी-त्रिच्ची/मदुरै/कोयम्बटूर के अधीन आने वाले क्षेत्राधिकारों के लिए डीएओज़ फरवरी 2012 में नामित किए गए थे। चेन्नई क्षेत्राधिकार डीएओ के संबंध में पैन के बिना एआईआर सूचनाओं के संबंध में निर्धारितियों की पहचान करने हेतु आईटीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

नॉन फाईलर्स को पूछताछ पत्रों का निर्गमन

3.12 सीबीडीटी के निर्देश स. 01/2009 के पैरा 3(बी) और 4(बी) में यह प्रावधान है कि पैन सहित/पैन रहित एआईआर सूचनाओं के मामले में, जेएओ/डीएओ लेनदेन करने वाली सभी गैर-सरकारी पार्टियों को निर्धारिती की पहचान करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में पूछताछ पत्र जारी करेगें। यदि, पैन रहित सूचनाओं के पत्र के उत्तर के आधार पर यह पाया जाता है कि व्यक्ति एक मौजूदा निर्धारिती है, तो उत्तर/रिटर्न के साथ पत्र और एआईआर सूचनाऐं पैरा 4(ii) और (iii) के अनुसार कार्रवाई करने हेतु डीएओ द्वारा जेएओ को भेजी जानी चाहिए।

क. दिल्ली में, वित्तिय वर्ष 09[36] के दौरान पैन रहित एआईआर सूचनाओं के 96,157 मामले थे। डीआईटी (आई और सीआई) ने बताया कि 14,529 पूछताछ पत्र उन व्यक्तियों को जारी किये गये थे जो वित्तीय वर्ष 11 के दौरान उच्च मूल्य लेन-देनों में शामिल थे।

ख. राजस्थान[37] मे, चुनिंदा इकाईयों के जेएओज़ द्वारा नॉन-फाईलर्स को पूछताछ पत्र जारी नहीं किये गये थे।

ग. मध्य प्रदेश में, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की समयावधि के दौरान प्राप्त पैन रहित 5,305 एआईआर/सीआईबी सूचनाओं से 3,388 सूचनाओं पर ही दो डीएओज़[38] द्वारा कार्रवाई की गई थी। जबकि, वे मार्च 2011 तक 1,917 सूचनाओं पर कोई भी कार्रवाई शुरू करने में विफल रहे।

---

[36] वित्तीय वर्ष 08, वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

[37] वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान 10,257 संख्या वाले चुनिंदा सीआईटी के अन्तर्गत 36 जेएओज़ (121 नॉन फाईलरों को नोटिस जारी करने वाले छः जेएओज़ को छोड़कर) द्वारा।

[38] डीएओ/आईटीओ 1(1), भोपाल और डीएओ/आईटीओ 3(3), इन्दौर

घ. ओडिशा में, पैन रहित एआईआर के मामलों के संबंध में वित्तीय वर्ष 11 के दौरान जारी किये गये 1958 पूछताछ पत्रों में से, 343 पत्र अवितरित रहे, 680 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे और 935 मामलों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान आईटीडी द्वारा 22.7 से 26.2 *प्रतिशत* मामलों में पैन की पहचान की गई। आईटीडी द्वारा अपूर्ण पते वाले 2,596 नॉन-पैन मामलों में नोटिस जारी नहीं किए। 5,355 मामलों में जारी नोटिस बिना डिलीवरी के वापस आ गए।

पैन की पहचान

3.13 अगस्त 2006 के निर्देश स. 6/2006 के पैरा 10 में, यह कहा गया था कि एआईआर फाइलर द्वारा पैन उद्धृत न किये गये लेन-देनों के संबंध में व्यक्तियों के पैन का पता लगाने के लिए, डीजीआईटी-एस ने मल्टी इटरेटिव फोनेटिक पैटर्न रिकगनिशन एलगोरीथम (एमआईपीपीआरए) सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अतः तद्नुसार, यह निर्देश दिया गया कि एआईआर सूचनाओं वाले परंतु पैन रहित मामलों के संबंध में डीआईटी-एस के दिनांक 20 दिसम्बर 2005 के पत्र के अनुसरण में धारा 142(1) के अन्तर्गत कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जानी चाहिए। डीआईटी-एस, नई दिल्ली ने सूचित किया कि आईटीडी ने यह सॉफ्टवेयर कभी शुरू ही नहीं किया। यह वित्तीय वर्ष 07 में प्रयोग में लाया गया एक पायलट वर्क था। मिलान का *प्रतिशत* लगभग 20-22 *प्रतिशत* था। उपर्युक्त अनुभव के आधार पर, आईटीडी ने एमआईपीपीआरए के उपयोग को स्थगित कर दिया। तथापि, उन्होने पैन की पहचान की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी विकल्प की संभावना का पता नहीं लगाया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि इन मुद्दों का डॉटा भंडारण और बिजनेस इन्टेलीजेन्स के तहत पता लगाया जा रहा है।

3.14 पैन के बिना एआईआर सूचनाऐं डीएओज़ को भेजी जानी अपेक्षित है जो निर्देश संख्या 1/2009 के पैरा 4 के अनुसार लेन-देन करने वाली सभी गैर-सरकारी पार्टियों को पूछताछ के लिए पत्र जारी करेंगे। नामित निर्धारण अधिकरियों को पता लगाने और पूछताछ पत्रों को पहुँचाने और यदि आवश्यक हो तो आगामी नोटिसों को पहुँचाने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। नॉन-पैन एआईआर सूचना के लेन देन करने वाली पार्टियों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर, डीएओ को अपने क्षेत्र के डीआईटी (सीआईबी) को संबंधित लेनदेन करने वाली पार्टियों के पैन की सूचना देना आवश्यक है, जो कि तब आईटीडी एप्लिकेशन के एआईआर मॉड्यूल के माध्यम से नॉन-पैन एआईआर सूचना में पैन का अद्यतन करेगा। हमने पाया कि आईटीडी ने पैन की पहचान के लिए निम्नलिखित मामलों में विशेष प्रयास नहीं किए:

क. वित्तीय वर्ष 11 में केवल 26.4 *प्रतिशत* मामलों में चार राज्यों[39] में पैन की पहचान की गई।

ख. असम में, जारी किए गए 3,763 पूछताछ पत्रों के प्रति सीआईटी डिबरूगढ़ में वित्तीय वर्ष 08 के दौरान केवल पाँच मामलों में पैन की पहचान की जा सकी।

ग. गुजरात में, 13,542 पूछताछ पत्रों के प्रति वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 10 के दौरान केवल 24 *प्रतिशत* मामलों में पैन की पहचान की जा सकी।

घ. केरल में, 27,292 पूछताछ पत्रों के प्रति वित्तीय वर्ष 09 और वित्तीय वर्ष 11 के दौरान केवल 22.7 *प्रतिशत पैन* मामलों की पहचान की जा सकी।

ङ. पंजाब और आंध्रप्रदेश में, वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 10 तक और गुजरात में वित्तीय वर्ष 08 और वित्तीय वर्ष 11 में पैन की पहचान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

च. महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के चयनित प्रभार में डीएओ द्वारा पैन को अद्यतन करने के किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

3.15 आईटीडी द्वारा उन व्यक्तियों के पैन की पहचान करने के लिए जिनका पैन एआईआर में उद्धृत नहीं था, की गई कार्रवाई की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए, हमने डीआईटी-सीआईबी मुंबई से वित्तीय वर्ष 09 (निर्धारण वर्ष 10) के लिए सूचना एकत्रित की और ₹ 30 लाख से अधिक अचल संपत्ति की खरीद से संबंधित एआईआर सूचना से 150 मामले चयनित किए जो मुख्यतः कंपनियां थी और पैन का पता लगाने की कोशिश की। हमने देखा कि आईटीडी ने इन मामलों में पैन का पता लगाने के लिए अधिक कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि इन मामलों में आईटीडी पैन का पता लगाने में विफल रहा जबकि हम 127 लेनदेनों में पैन का पता लगा पाने में सफल रहे। पैन के अभाव में, एआईआर सूचना संबंधित निर्धारण अधिकारी को संवीक्षा निर्धारण के दौरान उपयोग के लिए नहीं दी जा सकी। 127 मामलों में पहचाने गए पैन में से हमने नमूना जाँच के लिए 35 मामलों को यह देखने के लिए चुना कि क्या एआईआर सूचना एओज़ को प्रसारित की गई थी और क्या वह व्यक्तिगत लेनदेन विवरण (आईटीएस) में दर्शाए गए थे। हमने पाया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी मामले में आईटीएस में एआईआर सूचना नहीं दर्शायी गई थी।

---

[39]आंध्र प्रदेशः 26,858 पूछताछ पत्रों के प्रति 5,492; हरियाणाः 11,562 पूछताछ पत्रों के प्रति 3,659; मध्य प्रदेशः 6,086 पूछताछ पत्रों के प्रति 1,156 और पंजाबः 13,274 पूछताछ पत्रों के प्रति 4,977.

3.16 मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि व्यक्तिगत रूप से की गई जांच और साफ्टवेयर आधारित सर्च इंजन की जांच के बीच अन्तर है। साफ्टवेयर आधारित सर्च इंजन द्वारा सर्चिगं सही तरीके से परिभाषित तार्किक पैरामीटरों द्वारा की जाती है जिसमें एक तरफ स्रोत डाटा की आवश्यकता होती है और दूसरी तरफ एक लक्ष्य डाटा की। चूंकि डाटा में पैन उपलब्ध नहीं था, अतः आईटीएस नहीं बनाया जा सका। लेखापरीक्षा को लगता है कि साफ्टवेयर में उचित संशोधन द्वारा सिस्टम को सुदृढ किया जा सकता है।

3.17 तमिलनाडु में वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 11 के लिए "पैन के बिना एआईआर सूचनाओं " की कुल संख्या 1,31,117 थी जिनमें ₹ 64,450.42 करोड़ शामिल थे। तथापि, उपरोक्त एआईआर सूचनाओं के संबंध में आईटीडी पैन को नहीं पहचान सका और आईटीडी एप्लिकेशन में उन्हें अद्यतन नहीं कर सका (मार्च 2012)। इस प्रकार, पैन के अभाव में 1,31,117 मामले जॉच से बच गए क्योंकि वह कॉस के लिए उपलब्ध नहीं थे। डीआईटी/सीआईबी ने सही पते की अनुपलब्धता के कारण पैन ढूंढने में कठिनाई व्यक्त की।

3.18 हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 11 के दौरान लेनदेन करने वाले पक्षों के पैन पाने के लिए डीआईटी (सीआईबी) हरियाणा द्वारा एआईआर फाइलरों को जारी 7,903 नोटिसों के प्रति आईटीडी को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आईटीडी ने इन मामलों को सीसीआईटी (उत्तर पश्चिम क्षेत्र) को भेज दिया किन्तु सीसीआईटी (एनडब्ल्यूआर)/सीसीआईटी पंचकुला ने इन्हें क्षेत्राधिकारी डीएओज को प्रेषित नहीं किया।

3.19 नॉन पैन मामलों में जहाँ पते अधूरे थे 2,596 मामलों[40] में नोटिस जारी नहीं किए जा सके और 5,355 मामलों[41] में जहाँ नोटिस जारी किए गए थे वह बिना प्राप्ति के वापस आ गए। तथापि, आईटीडी ने इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उपलब्ध अभिलेखों में हमने पाया कि डीएओ ने पता लगाने और पूछताछ पत्रों को भेजने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

निर्धारण के दौरान एआईआर सूचनाओं पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि क्षेत्राधिकारी सीआईबी ने एओ के निवेदन पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

व्यक्ति की सही जानकारी के लिए एओ को वापिस भेजे गए मामले

3.20 एआईआर/सीआईबी द्वारा जमा सूचनाऐं पैन के आधार पर संबंधित निर्धारण प्रभारों में प्रसारित की जाती है। गलत पैन के मामले में प्रसारित सूचना को सत्यापित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में एओ क्षेत्राधिकारी डीआईटी-सीआईबी को

---

[40] राजस्थान-189 मामले, मध्य प्रदेश -2,407 मामले

[41] राजस्थान-1,008 मामले, मध्य प्रदेश-1,035 मामले, केरल-3,312 मामले

स्पष्टीकरण हेतु लिखता है। डीआईटी-सीआईबी को एआईआर फाइलरों के साथ पत्राचार करना होता है और सही जानकारी प्राप्त करनी होती है और उसे आगे एओज़ को निर्धारण की जाँच के दौरान प्रयोग के लिए प्रेषित करना होता है। हमने पाया कि एओज ने क्षेत्राधिकारी डीआईटी -सीआईबी को गलत जानकारी के बारे में सूचित किया था। तथापि, डीआईटी -सीआईबी ने एओज़ को सही जानकारी प्रदान नहीं की थी। परिणामस्वरूप निर्धारण के दौरान प्रसारित जानकारी का प्रयोग नही किया जा सका। नमूना जाँच के दौरान हमने 24 मामले पाए जिनमें एआईआर/सीआईबी सूचनाओं पर निर्धारण के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि क्षेत्राधिकारी सीआईबी ने एओ के अनुरोध पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी (नीचे बॉक्स 3.5 देखे)।

बॉक्स 3.5: निदर्शी मामले जहाँ एआईआर सूचनाओं पर विचार नही किया जा सका क्योंकि क्षेत्राधिकारी सीआईबी ने एओ के अनुरोध पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया नही दी।

क. प्रभारः सीआईटी VI मुम्बई, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारितीः मै. लिबर्टी आयल मिल्स लिमिटेड
निर्धारिती ने सीआईबी सूचना के अनुसार 28 मार्च 2008 को ₹ 156.95 करोड़ प्रत्येक के प्रतिफल के लिए दो अचल सम्पत्तियां हस्तांतरित की थीं। निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निर्धारिती ने ऐसे किसी हस्तांतरण से इनकार किया। एओ ने नवम्बर 2010 में तथ्यों के सत्यापन हेतु मामला सीआईटी-सीओ को संदर्भित किया और दिसम्बर 2010 में सूचना पर विचार किए बिना निर्धारण पूरा कर दिया।

ख. प्रभारः सीआईटी-4, पुणे, निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारितीः मैसर्स साठे बिस्किट और चाकलेट कम्पनी लिमिटेड
एआईआर के अनुसार निर्धारिती ने मार्च 2008 में महावीर को-ओप बैंक शोलापुर में म्युचुअल फंड से संबंधित ₹ 1.00 करोड़ और ₹ 1.50 करोड़ के दो लेन-देन किए। निर्धारिती और महावीर को- ओप बैंक, शोलापुर दोनों ने लेनदेन से इनकार किया। एओ ने डीआईटी-सीआईबी, पुणे से आगे का स्पष्टीकरण मांगा। डीआईटी-सीआईबी, पुणे ने बताया कि स्पष्टीकरण सीआईबी मुम्बई से क्योंकि उसने ही सूचना अपलोड की थी या एडी (सिस्टम्स) नई दिल्ली से मांगा जाना चाहिए । तथापि, एओ ने दिसम्बर 2010 में वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना संविक्षा निर्धारण पूरा कर दिया।

एओ ने पुष्टिकरण के लिए क्षेत्राधिकारी सीआईबी को सूचना वापिस नहीं भेजी ।

क्षेत्राधिकारी सीआईबी को सूचना

3.21 हमने ऐसे 30 मामले[42] भी पाए जहाँ एओ ने क्षेत्राधिकारी सीआईबी को पुष्टिकरण के लिए सूचनाऐं वापिस नहीं भेजी (बाक्स 3.6 देखे)।

[42] एक मामला-पंजाब और 29 मामले- आंध्र प्रदेश।

बॉक्स 3.6 निदर्शी मामला जहाँ एआईआर सूचनाऐं सीआईबी को वापिस संदर्भित नहीं की गई थी।

प्रभारः सीआईटी- I चण्डीगढ़ निर्धारण वर्ष: 09
निर्धारितीः जय श्री ठाकुर, पैन-एएजीपीटी4333एच
आईटीडी ने ₹ 51 लाख के म्युचुअल फंड में निवेश की एआईआर जानकारी प्राप्त की, तथापि, निर्धारिती ने बताया कि वास्तव में वह ₹ 15 लाख थी। एओ ने स्पष्टीकरण के लिए उसे सीआईबी को वापिस नहीं भेजा। फाईल में निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं लगाया गया था।

एओज के पास प्रसारित एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित डाटा नहीं था। चयनित प्रभार में एओज निर्धारित रजिस्टर में सूचनाऐं नहीं रख रहे थे।

प्रसारित की गई सूचनाओं की मानीटरिंग

3.22 सीबीडीटी के दिनांक 12 फरवरी 2009 के अनुदेश सं. 1/2009 के पैरा 7 में निर्धारित है कि सीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्रवाई को बारीकी से मानीटर करेंगे। इसके अतिरिक्त, डीएओ/जेएओ को तत्रैव अनुदेश के अनुबंध 4 के अनुसार एक रजिस्टर का रख रखाव करना होता है जिसमें नान फाईलरों के विवरण दर्शाए गए हों और इन रजिस्टरों का रेंज अध्यक्ष और संबंधित सीआईटी द्वारा प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण किया जाना होता था। निर्धारित रजिस्टर के अनुरक्षण के अभाव में रेंज अधिकारी और सीआईटी, एओज को प्रसारित की गई एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्यवाही को मानीटर और पर्यवेक्षण करने में असमर्थ रहे। हमने प्रसारित सूचनाओं की मानीटरिंग के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई।

क. हमने पाया कि प्रसारित एआईआर सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित डाटा या तो एओ के पास उपलब्ध ही नही था या चयनित प्रभार[43] में एओ द्वारा निर्धारित रजिस्टर में नही रखा जा रहा था।

ख. हरियाणा में जेएओज़/डीएओज़ ने एआईआर सूचनाओं के आधार पर जाँच के लिए चुने गए मामलों की सूची को रेंज प्रभारी गुड़गांव द्वारा रेंज प्रभारी को मानीटरींग उद्देश्यो[44] के लिए प्रेषित नही किया।

---

[43] वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली (75 एओज में से छः एओज ने मार्च 2012 में सूचना दी कि इनका रखरखाव चालू वर्ष से किया जा रहा था और 2011 -12 के लिए ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव नही किया गया था।) गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (27 एओज द्वारा रखरखाव नहीं किया गया (डीएओ/आईटीओ-1 (1), भोपाल और आईटीओ-2(2), भोपाल के अलावा किन्तु रिकार्डों को अद्यतन नहीं किया जा रहा था), महाराष्ट्र (पाँच चयनित सीआईटी-में जाँच की गई 15 रेंजों में से 11 के एओज द्वारा रखरखाव नही किया गया था।), ओडिशा, पंजाब (जॉच किए गए 60 एओज में से 59 एओज द्वारा रखरखाव नही किया गया था) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[44] एसीआईटी सर्किल गुडगांव को छोड़कर, या बेतरतीब आधार पर आईटीओ वार्ड 1(1) और 1(2) गुडगांव।

सूचनाओं के प्रयोग द्वारा राजस्व का सृजन

3.23 केरल में, केवल सूचनाओं के संग्रहण, संकलन, अपलोडिंग से हटकर आईटीओ (आसूचना), कोजिकोड, जिनके पास जांच विंग का अतिरिक्त प्रभार था, ने वित्तीय वर्ष 11 में उच्च मूल्य के लेनदेनों के 140 मामलों पर आगे कार्रवाई करने के लिए 6,424 सूचनाओं का प्रयोग किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की उगाही हुई और कर के दायरे में 35 नए निर्धारिती सम्मिलित हुए । इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 12 में 94 मामलो में सूचनाओं के उपयोग से पहले ही कर के दायरे में ₹ 4.87 करोड़ आ चुके है। इससे यह पता चलता है कि एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर, यदि इनका उपयोग किया जाए, कर की चोरी का पता लगाने की काफी क्षमता है। इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि 2,933 मामलों में एओ ने एआईआर/सीआईबी सूचनाओं के उपयोग द्वारा ₹ 53.78 करोड़ और जोड़े।

अन्य विषय

निर्धारिती ने अपना पैन अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी।

3.24 सुधाकर नायक, पैन-एडीएपीएन2724के[45] के मामले की जाँच का चयन ₹ 12.58 लाख के रोकड जमा की एआईआर सूचना के आधार पर किया गया था। जनवरी 2011 में धारा 142(1) के अन्तर्गत जारी नोटिस के अनुपालन में निर्धारिती ने बताया कि उसके भाई बिजयकुमार नायक, पैन-एईबीपीएन6777एल (महावीर एंटरप्राइज़िस के मालिक) का केयोंझार में कोई बैंक खाता नही था, उसने अपने व्यवसाय से आय उसके बैंक खाते के माध्यम से की। उसने अपने भाई का एक घोषणा पत्र उसके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए प्रस्तुत किया। एआईआर सूचनाओं के आधार पर बिना किसी बढ़ोतरी के निर्धारण 17 जनवरी 2011 को पूरा किया गया था। एआईआर सूचनाऐं भी निर्धारिती के भाई के क्षेत्राधिकारी एओ को संदमार्थ नहीं भेजी गई थी।

एओ द्वारा कार्रवाई प्रारंभ न करना

3.25 उत्तर प्रदेश में, एसीआईटी सर्कल II गाजियाबाद ने वित्तीय वर्ष 08 के लिए श्रीमती प्रकाशवती के मामले में ₹ 32.47 लाख की संपत्ति की बिक्री की एआईआर सूचना प्राप्त की। कार्यवाही के दौरान यह पता लगा कि आईटीओ 1(3), गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक निर्धारिती श्रीमती कैलाशो देवी को यह सम्पति ₹ 32.47 लाख के बजाय ₹ 51.63 लाख में बेची गई थी। यह सूचना 22 जून 2010 को आईटीओ 1(3) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी। तथापि, संबंधित एओ ने फरवरी 2012 अर्थात 20 माह बीत जाने के बाद नोटिस जारी किया।

---

[45] प्रभारः आईटीओ, क्योंझार प्रभार, सीआईटी सम्बलपुर ओडिशा, निर्धारण वर्ष: 10

धारा 50सी मामलों के संबंध में सूचनाऐं

3.26 सीआईबी अचल सम्पत्ति के ऐसे लेन-दनों की सूचनाऐं जहाँ पंजीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में बताए गए बिक्री प्रतिफल और वास्तविक प्रतिफल जिस पर पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क प्रभावित किया गया था, में अन्तर ₹ 10,000 से अधिक हो,एक अनिवार्य स्रोत कोड के रूप में जमा करता है जिससे क्षेत्रीय एजेंसियों के राजस्व संग्रहण के प्रयास को बढाया जा सके क्योंकि राशि के अन्तर पर धारा 50सी के अन्तर्गत कर लगता है। सीआईबी ने वित्तीय वर्ष 10 और वित्तीय वर्ष 11 के लिए धारा 50सी से संबंधित 11,257 लेनदेनों जिसमें ₹ 1,302.77 करोड़ की राशि शामिल थी, की सूचनाओं को सीसीआईटी जयपुर और सीआईटी कार्यालय[46] को प्रेषित कियो। आइटीडी ने इन्हें रेंज कार्यालयों द्वारा निर्धारिती यूनिटों को प्रेषित किया। आईटीडी क्षेत्राधिकार वार ब्रेक अप और सूचनाओं का सृजन और उपयोग नही कर पाई क्योंकि अधिकतर मामलों में पैन उपलब्ध नही था और उनमें पतों में गड़बड़ी थी।

पहले के वर्षो की एआईआर सूचनाओं पर कार्रवाई प्रारंभ न करना

3.27 दिनांक 12 फरवरी 2009 के सीबीडीटी अनुदेश सं. 01/2009 के पैरा 2(बी) में प्रावधान है कि एक विशेष निर्धारण वर्ष के मामले में संविक्षा निर्धारण के दौरान प्राप्त फीडबैक पर उस मामले में उपलब्ध एआईआर सूचनाओं के आधार पर, यदि कोई हो तो, यदि उनके पास यह मानने का कारण हो कि आय का निर्धारण होने से बच गया है, एओ पहले के निर्धारण वर्षों के लिए धारा 148 के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकता है।

3.28 मध्य प्रदेश में, हमने 11 मामलों में पाया कि एओज ने धारा 143(3) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 10 के मामलों का निर्धारण करते समय वित्तीय वर्ष 08 से संबंधित एआईआर सूचनाओं पर ध्यान नही दिया और मामलों को दोबारा खोलने का फीडबैक देने वाली एआईआर सूचनाओं की उपलब्धता के बावजूद पहले के प्रसंगिक निर्धारण वर्षों के लिए धारा 148 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इस प्रकार, धारा 148 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ न करने के परिणामस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ मूल्य के लेनदेनों का निर्धारण नहीं हुआ जिसमें ₹ 2.52 करोड़ का राजस्व शामिल था।

सिफारिशें

3.29 हम सिफारिश करते हैं कि

क. आईटीडी के विभिन्न स्तरों पर सीबीडीटी द्वारा बनाई गई मानीटरिंग प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने उत्तर दिया

---

[46] सूचनाओं की कुल संख्या के साथ उपरोक्त सूचनाओं में शामिल राशि और ऐसी सूचनाओं की मदद से जो राजस्व प्राप्त हुआ का एओ वार ब्रैकअप की सूचना सीआईटी-1 और सीआईटी-2 जयपुर और सीआईटी अलवर के पास उपलब्ध नही थी।

(दिसम्बर 2012) कि सतत विकास के साथ कार्यात्मकता में सुधार हो रहा है। आगे प्रयास जारी हैं। तथापि, कार्यान्वयन और मानीटरिंग मुद्दों के लिए अतिरिक्त मानवशक्ति की आवश्यकता है जिसके लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

ख. फार्म 60/61 में प्राप्त घोषणाओं का उपयोग अंकीकरण और उनके प्रसार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आपत्तियों को नोट किया और सूचना दी (दिसम्बर 2012) कि अब उच्च मूल्य के फार्म 60/61 का अंकीकरण किया जा रहा है।

ग. नॉन पैन एआईआर मामलों से निपटने के लिए नियमित आधार पर नामित निर्धारण अधिकारियों के नामांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि नॉन पैन एआईआर और सीआईबी डाटा के बेहतर उपयोग के लिए तरीको को सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

घ. आईटीडी उन एओज पर निश्चित उत्तरदायित्व निर्धारित करे जो अपने निर्धारण के समय उपलब्ध सूचनाओं को रिकार्ड या उपयोग करने में विफल रहते हैं। मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि ऐसी सूचनाओं के संबंध में फीड बैक प्रणाली का मुद्दा सीबीडीटी के विचाराधीन था। यह देखने के लिए तरीके निकाले जाएंगे कि मानवशक्ति की कमी के दबाव के मद्देनजर आपत्तियां आगे कैसे बढ़ाई जा सकती हैं।

नई दिल्ली
दिनांकः 8 अप्रैल, 2013

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 8 अप्रैल, 2013

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक